

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर  
‡ वाणिज्यक कार्यविधि निदेशालय ‡

क्रमांक:-जोधपुर डिस्कॉम/जोध/वाणिज्यक/का. 4/प्रे. सं. 19

जोधपुर, दिनांक: 21-09-99

आदेश - 2

विषय:- कृषि मीटर्ड सप्लाइ के उषभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क वसूली के सम्बन्ध में ।

मण्डल के आदेश क्रमांक 573 दिनांक 25 मई, 2000 ‡कामेर्गिबिल-506‡ के द्वारा कृषि मीटर्ड श्रेणी के उषभोक्ताओं से वास्तविक उषभोग या न्यूनतम शुल्क जो भी अधिक हो के आधार पर मासिक बिलिंग तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में न्यूनतम शुल्क का समायोजन अन्तिम रूप से किए जाने के आदेश जारी किए गए थे । इस सम्बन्ध में गहन विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि कृषि श्रेणी मीटर्ड श्रेणी ‡ ग्रामीण व शहरी ‡ उषभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क, मण्डल की पूर्व अधिसूचना संख्या 3958 दिनांक 15.12.99 ‡कामेर्गिबिल-450‡ के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के अन्त में ‡माह मार्च में‡ वार्षिक आधार पर ही वसूल किया जाए । तदानुसार, कृषि मीटर्ड श्रेणी ‡ग्रामीण व शहरी ‡ के उषभोक्ताओं को मासिक बिल तुरन्त प्रभाव से वास्तविक उषभोग के अनुसार दिए जाएं एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में मार्च माह में न्यूनतम शुल्क का निर्धारण पूर्व माहों में जारी किए गए विद्युत बिलों के समायोजन करके किया जाए ।

यह आदेश बिलिंग माह अक्टूम्बर, 2000 से प्रभावी होगा ।

आज्ञा से

‡स. सी. पुरोहित‡

अधिसाधी अभियन्ता ‡वाणिज्यक‡

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2- सचिव, राजस्थान राज्य निषमक आयोग, विद्युत भवन, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता ‡बबत‡ जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 4- निदेशक ‡वाणिज्य‡ जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
- 5- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 6- मुख्य लेखाधिकारी ‡राजस्व‡ रा. वि. प्र. नि. लि. , जयपुर ।

लगावार ....2...